अध्याय – I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी. & ए.जी.) का यह प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 के लिए, भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान तथा लागू विधि, नियमों-विनियमों के प्रावधानों, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, का उल्लेख करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में अपनी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक तथा इच्छित लक्ष्यों को पाने के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता को निर्धारित करने हेतु नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों की जांच भी शामिल है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को संसद के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों की आवश्यकता है कि रिपोर्टिंग की अहमियत का स्तर लेन-देनों की प्रकृति, मात्रा और आकार के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से आशा की जाती है कि वह कार्यकारिणी को सुधार कार्यों को लागू करने के साथ-साथ ऐसी नीतियों और निर्देशों को बनाने में सक्षम करे जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन सुधरे और इस प्रकार अच्छे शासन में योगदान दें।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण, बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति, विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति, हानियाँ व न वसूल होने वाली देयताएं जो अपलिखित/माफ किए गए तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की एक रूपरेखा है। अध्याय - II से VII, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं एवं

स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्धृत निष्कर्षों/टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक तथा पर्यावरण संस्थानों में परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रणों इत्यादि की प्रणाली में निहित कमियों को भी इस प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

1.2 लेखापरीक्षा संस्थाओं की रूपरेखा

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग भारत सरकार के निम्नलिखित नौ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अंतर्गत इकाइयों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है।

- परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)
- अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.)
- पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.)[1]
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसमें शामिल हैः
  - जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.);
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); तथा
  - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)
- जल संसाधन मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर.)[2]

यह प्रतिवेदन उपरोक्त वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाविष्ट करता है।

इन मंत्रालयों/विभागों की एक संक्षिप्त रूपरेखा ***परिशिष्ट-I*** में दी गई हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय की तुलनात्मक स्थिति तालिका 1 में दी गई है।

[1] मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है (2014-15)।

[2] मंत्रालय का नाम बदलकर जल संसाधान, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय कर दिया गया है (2014-15)।

तालिका 1: वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2011-12	2012-13	2013-14
1.	डी.ए.ई.	17,516.60	11,981.76	13,437.26
2.	डी.बी.टी.	1,208.43	1,282.84	1,291.32
3.	डी.एस.टी.	2,521.47	2,524.22	2,610.22
4.	डी.एस.आई.आर.	3,214.70	2,945.66	3,159.54
5.	डी.ओ.एस.	3,790.79	4,856.28	5,168.95
6.	एम.ओ.ई.एस.	1,174.60	1,177.14	1,248.15
7.	एम.ओ.ई.एफ.	2,270.00	1,996.69	2,158.80
8.	एम.एन.आर.ई.	1,365.22	1,243.72	1,633.52
9.	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	1,066.03	1,055.59	1,094.71
कुल		34,127.84	29,063.90	31,802.47
प्रतिशत बढ़त(+)/घटत(-)		(+)28.10[3]	(-)14.84	(+)9.42

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

2013-14 के दौरान भारत सरकार के ऊपर दिए गए मंत्रालयों/विभागों पर कुल व्यय ₹ 31,802.47 करोड़ था। इसमें से, कुल व्यय का 42 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा विभाग ने किया, उसके बाद अंतरिक्ष विभाग (16 प्रतिशत) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (10 प्रतिशत) आते हैं।

जहाँ वर्ष 2010-11 के मुकाबले 2011-12 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के कुल व्यय में 28 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई, 2011-12 के मुकाबले 2012-13 के दौरान 15 प्रतिशत की कमी हुई थी। 2013-14 के दौरान तथापि, कुल व्यय में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

[3] 2010-11 में किए गए ₹ 26,642.37 करोड़ के व्यय के आधार की गई गणना।

चार्ट 1 : वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय

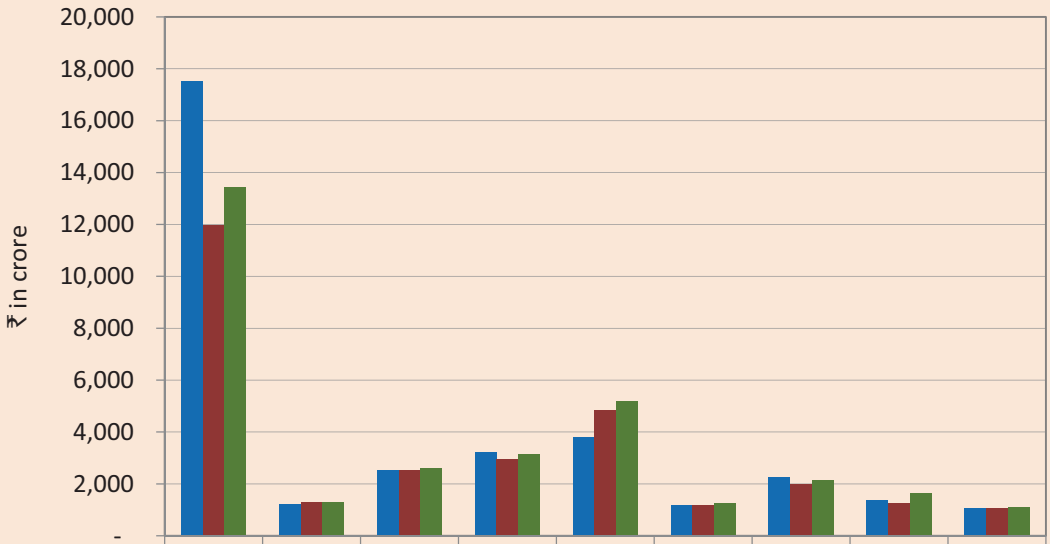

	DAE	DBT	DST	DSIR	DOS	MoES	MoEF	MNRE	MoWR
2011-12	17,517	1,208	2,521	3,215	3,791	1,175	2,270	1,365	1,066
2012-13	11,982	1,283	2,524	2,946	4,856	1,177	1,997	1,244	1,056
2013-14	13,437	1,291	2,610	3,160	5,169	1,248	2,159	1,634	1,095

1.3 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सी&ए.जी. को लेखापरीक्षा करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त हुआ है। सी.&ए.जी. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी.&ए.जी. (डी.पी.सी.)[4] अधिनियम की धारा 13[5] के अंतर्गत करता है। सी.&ए.जी. वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा सी&ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 19(2)[6] एवं 20(1)[7] के अंतर्गत की जाती है, के संबंध में एकमात्र लेखापरीक्षक है। इसके अतिरिक्त, सी&ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14[8] एवं 15[9] के अंतर्गत ऐसे

---

4 नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971।

5 (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) सार्वजनिक लेखे तथा आकस्मिक निधि से संबंधित लेन-दन तथा (iii) सभी व्यापारिक, विनिर्माण, लाभ-हानि लेखे, बैलेंस शीट तथा अन्य सहायक लेखों का लेखापरीक्षण।

6 संसद द्वारा संबंधित अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार बनाई गई विधि से स्थापित निगमों (जो कम्पनी नहीं है) के लेखों का लेखापरीक्षण।

7 राष्ट्रपति के अनुरोध पर ऐसे किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा उन शर्तों पर करना जिसकी सहमति सरकार तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बीच हुई हो।

8 (i) भारत की संचित निधि से अनुदान प्राप्त या ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियां एवं व्यय तथा (ii) भारत की संचित निधि से एक वित्तीय वर्ष में किसी निकाय/प्राधिकरण को जारी किए गए ₹एक करोड़ से अधिक राशि के कर्ज अथवा सहायता राशि के लेखों की प्राप्ति एवं खर्च की लेखापरीक्षा करना।

स्वायत्त निकायों की अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी सी&ए.जी. करते है जो भारत सरकार द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित है और जिनकी प्रारंभिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धांत और विधि-तंत्र सी&ए.जी. द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 में नियत है।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा सी.&ए.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में शामिल सिद्धांतों एवं प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप में मंत्रालय/विभाग/संगठन और प्रत्येक इकाई में किए गए व्यय, कार्रवाईयों की महत्व/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा हित धारकों की चिंताओं पर आधारित जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अंतर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर उपलब्ध करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न होने वाली प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

2013-14 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के 402 इकाइयों में से 194 का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। हमारी लेखापरीक्षा योजना ने उन इकाइयों/संस्थाओं, जो हमारे मूल्यांकन के अनुसार प्रमुख जोखिम वाले थे, को शामिल किया।

[9] भारत की समेकित निधि से किसी विशेष उद्देश्य से किसी भी प्राधिकरण अथवा निकाय को दिए गए अनुदान या ऋण की लेखापरीक्षा, उन प्रक्रियाओं की जांच हेतु, जिनके द्वारा दिए गए अनुदान या ऋण की शर्तों को पूरा होने का स्वीकृति अधिकारी अपने आप को संतुष्ट करता है।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने समीक्षात्मक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है जो कि वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के कार्यों की प्रभावकारिता पर असर डालती है। इन मंत्रालयों/विभागों की पिछले पाँच वर्षों के दौरान हुई लेखापरीक्षा से उद्धृत निष्कर्ष ***परिशिष्ट-II*** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमियों उजागर की गई हैं जो कि वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के कार्यों की प्रभावकारिता पर असर डालती है। सुधार कार्यों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्न शामिल हैः

- **अक्षम परियोजना प्रबंधन;**
- **खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियाँ;**
- **कर्मचारियों को अनियमित वित्तीय लाभ पहुँचाना; तथा**
- **कमजोर आंतरिक नियंत्रण**

1.5.1 अक्षम परियोजना प्रबंधन

सबसे महत्वपूर्ण कमियों में से एक, जिसे लेखापरीक्षा बताती आ रही है, वैज्ञानिक संगठनों के द्वारा परियोजना प्रस्तावों में स्वयं निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होना है। यह मुद्दा विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि परियोजनाएं आपूर्तियोग्य लक्ष्य के साथ ली जाती हैं। जबकि हम इस तथ्य को मानते हैं कि वैज्ञानिक प्रयास की सफलता का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, बताई गई कमियां ज्यादातर कमजोर परियोजना प्रबंधन के कारण हैं जो इन संगठनों के नियंत्रण के भीतर है।

वर्तमान प्रतिवेदन में पाँच विस्तृत पैराग्राफ शामिल किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित लेखापरीक्षा टिप्पणी शामिल हैः

(i) औषध एवं औषधि अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत डी.एस.टी. द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में चयन, वित्तीय प्रबंधन तथा निगरानी में कमियां (प्रतिवेदन का पैरा 3.1);

(ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा कार्यान्वित नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना (प्रतिवेदन का पैरा 4.1);

(iii) क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, कोलकाता द्वारा वेधशालाओं की स्थापना एवं रखरखाव (प्रतिवेदन का पैरा 6.2);

(iv) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम 2011 के कार्यान्वयन (प्रतिवेदन का पैरा 7.1); और

(v) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिए गए सीवेज के उपचार के लिए चार प्रदर्शन परियोजनाओं के प्रारंभ में अत्यधिक विलम्ब (प्रतिवेदन का पैरा 7.2)

इस प्रतिवेदन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक वेबसाइट, जो फरवरी 2012 से बेकार है, पर भी एक पैराग्राफ शामिल है। (प्रतिवेदन का पैरा 6.1)

1.5.2 खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालय/विभाग अपने बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सामग्री, उपकरण एवं सेवाओं की खरीद पर करते हैं। इनमें से कुछ विभाग जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों/विभागों की तुलना में बढ़े हुए वित्तीय अधिकारों का प्रयोग सामग्री एवं उपकरण खरीद पर करते हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में डी.एस.टी. द्वारा खरीदी गई भूमि के संबंध में पट्टा अनुबंध करने में 21 वर्षों की देरी तथा अनुमत्य समय में निर्माण कार्य पूरा करने में विफलता के कारण परिहार्य व्यय पर अवलोकन शामिल है। (प्रतिवेदन का पैरा 3.2)

1.5.3 कर्मचारियों को दिया गया अनियमित वित्तीय लाभ

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अधीन स्वायत्त निकायों में से अधिकांश भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले अनुदान से बड़े पैमाने पर वित्त पोषित हैं। आंतरिक राजस्व उत्पन्न करने के उनके प्रयासों का वांछित परिणाम नहीं निकला है और कई मामलों में सरकारी धन पर उनकी निर्भरता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर ऐसी निर्भरता के बावजूद, अपने कर्मचारियों को काफी अधिक लाभ देने के इन संस्थाओं के मामले बढ़ रहे हैं। इस प्रकार केंद्रीय खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालते हुए ये लाभ वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना अनुचित रूप से दिए जाते हैं। ऐसे मामले भी देखे गए हैं जिनमें जरूरी अनुमोदन या आवश्यक आकलन के बिना सरकारी विभागों ने कई लाभ अपने कर्मचारियों को दिए है।

वर्तमान प्रतिवेदन में डी.ए.ई. (प्रतिवेदन का पैरा 2.1) तथा डी.ओ.एस. (प्रतिवेदन का पैरा 5.1) द्वारा कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ देने पर दो विस्तृत पैरों के साथ-साथ

सी.एस.आई.आर. द्वारा अनियमित रूप से पदोन्नति देने (प्रतिवेदन का पैरा 4.2) पर पैरे भी शामिल हैं।

1.5.4 कमजोर आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण उन साधनों को विनियमित करने के लिए आवश्यक हैं जिसके द्वारा संगठन के संसाधन जुटाए और मितव्ययता एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाते हैं। सरकारी संगठनों को कठोर आंतरिक नियंत्रण के उपायों को लागू करने और खर्च में वित्तीय विवेक को इस्तेमाल करने की जरूरत यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सार्वजनिक धन नियमों एवं विनियमों के अनुसार खर्च किए जा रहे हैं और नुकसान तथा बर्बादी न्यूनतम है।

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन डी.ओ.एस. में कमजोर आंतरिक नियंत्रण के उदाहरण बताता है जिसमें डी.ओ.एस. के दो संगठनों, मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन तथा क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र-पूर्व, कोलकाता ने क्रमशः सेवा कर (प्रतिवेदन का पैरा 5.2) तथा विद्युत शुल्क (प्रतिवेदन का पैरा 5.3) का अनियमित/परिहार्य भुगतान किया।

1.6 बजट और व्यय नियंत्रण

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2013-14 के लिए विनियोग लेखों का सारांश तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2 - वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त अनुदान और किए गए व्यय का विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/ विनियोग (अनुपूरक अनुदान सहित)	व्यय	(-)बचत/ (+)अतिरिक्त	अव्ययित प्रावधान का प्रतिशत
1.	डी.ए.ई.	15,124.70	13,437.26	(-)1,687.44	11
2.	डी.बी.टी.	1,502.07	1,291.32	(-)210.75	14
3.	डी.एस.टी.	3,395.39	2,610.22	(-)785.17	23
4.	डी.एस.आई.आर.	3,571.01	3,159.54	(-)411.47	12
5.	डी.ओ.एस.	6,792.07	5,168.95	(-)1,623.12	24
6.	एम.ओ.ई.एस.	1,693.77	1,248.15	(-)445.62	26
7.	एम.ओ.ई.एफ.	2,884.74	2,158.80	(-)725.94	25
8.	एम.एन.आर.ई.	2,847.71	1,633.52	(-)1,214.19	43
9.	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	2,102.68	1,094.71	(-)1,007.97	48
कुल		**39,914.14**	**31,802.47**	**(-)8,111.67**	**20**

स्रोतः वर्ष 2013-14 के लिए विनियोग लेखे

तालिका 2 से देखा जा सकता है कि ₹ 39,914.14 करोड़ के कुल बजट आबंटन के संदर्भ में, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों की कुल बचत ₹ 8,111.67 करोड़ थी जो कि कुल अनुदान/विनियोग का 20 प्रतिशत थी। डी.ए.ई., डी.ओ.एस., एम.एन.आर.ई. और एम.ओ.डब्ल्यू.आर. के पास वर्ष के दौरान ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण बचत थी।

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों को निर्गत अनुदान के एक भाग के रूप में, एम.ओ.डब्ल्यू.आर. की बचत सबसे अधिक (48 प्रतिशत) थी, इसके बाद एम.एन.आर.ई. (43 प्रतिशत) थी। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों की कुल बचत का, डी.ए.ई. द्वारा की गई बचत का भाग सबसे अधिक था, इसके बाद डी.ओ.एस. था।

चार्ट 2 - मंत्रालय वार बचत का प्रतिशत

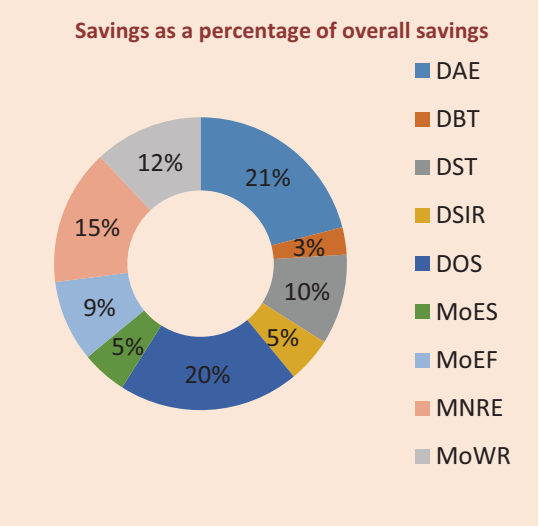

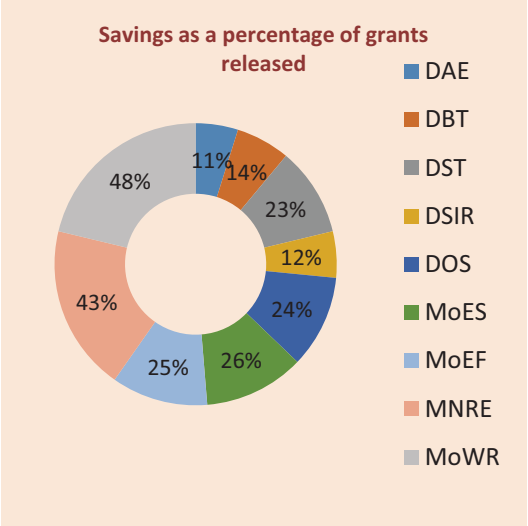

योजनागत व्यय के मुख्य घटक

24 नवम्बर 2014 को ई-लेखा पोर्टल से लिए गए आंकड़ों के अनुसार वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए ₹ 31,802.47 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 16,479.72 करोड़ अर्थात् लगभग 53 प्रतिशत योजनागत व्यय पर किए गए थे। योजनागत व्यय का एक मुख्य भाग, 33 प्रतिशत अनुदान-साधारण निर्गत करने में किया गया था, इसके बाद 21 प्रतिशत है जिसे पूँजीगत संपत्ति बनाने में इस्तेमाल किया गया। शेष में शामिल है, अनुदान-वेतन, सब्सिडी, वृहत कार्य, निवेश इत्यादि घटकों पर व्यय।

चार्ट 3: योजनागत व्यय का मुख्य घटकों में बंटवारा

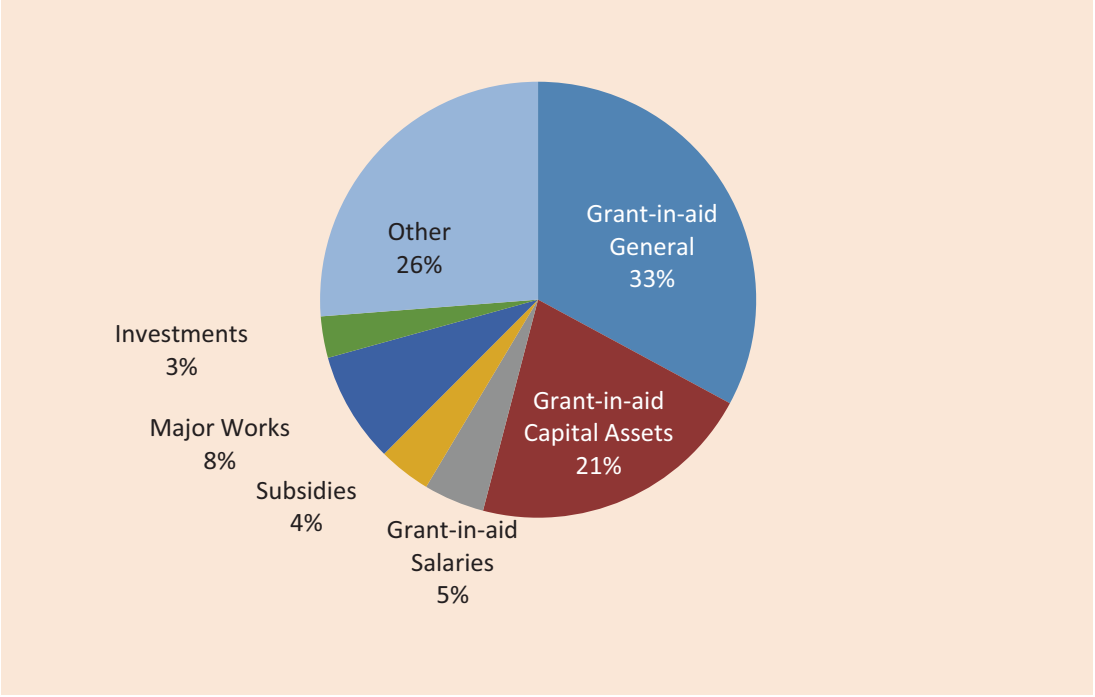

1.7 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग 14 स्वायत्त निकायों का एकमात्र लेखापरीक्षक है जिनके लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) सी&ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत तैयार की जाती है। इन 14 स्वायत्त निकायों को 2013-14 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान, पिछले वर्ष की अव्ययित राशि सहित ₹ 4,246.75 करोड़ था, जैसा कि विस्तार से तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3 - केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय के नाम	मंत्रालय/विभाग	2013-14 के दौरान जारी की गई अनुदान की राशि
1.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	530.00
2.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	91.07
3.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	13.50
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	3,126.97
5.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	15.48
6.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	26.47
7.	राष्ट्रीय जैवविवधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	46.83
8.	स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	166.53
9.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	16.76
10.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ.	21.31
11.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	38.32
12.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	85.00
13.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	14.74
14.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	53.77
कुल			4,246.75

स्रोतः स्वायत्त निकायों के 2013-14 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इसके अतिरिक्त, सी.&ए.जी.के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत 68 अन्य स्वायत्त निकायों की पूरक/अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी की जाती है। 64[10] स्वायत्त निकायों को 2013-14 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 4,163.27 करोड़ था, जिसका विवरण ***परिशिष्ट III*** में दिया गया है।

1.7.1 लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधित समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (पाँचवीं लोकसभा) 1975-76 में सिफारिशें दी कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक

[10] चार स्वायत्त निकायों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

स्वायत्त निकाय को अपने लेखों को तीन महीने की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए और उनको लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए और प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा किए गए लेखों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

वर्ष 2013-14 के लिए लेखों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

तालिका 4: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा की प्रस्तुति की स्थिति

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय के नाम	मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा के लिए लेखों की प्रस्तुति की तिथि	लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
1.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	07.08.2014	1
2.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	11.06.2014	-
3.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	29.12.2014	5
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	09.07.2014	-
5.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	26.06.2014	-
6.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	12.08.2014	1
7.	राष्ट्रीय जैवविवधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	17.06.2014	-
8.	स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	14.08.2014	1
9.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	04.08.2014	1
10.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ.	30.06.2014	-
11.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	22.07.2014	0.5
12.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	10.07.2014	-
13.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	07.08.2014	1
14.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	01.07.2014	-

तालिका 4 से देखा जा सकता है कि सात स्वायत्त निकायों ने लगभग 15 दिनों से पाँच महीनों के विलम्ब के बाद अपने लेखों को प्रस्तुत किया।

1.7.2 लेखों में महत्वपूर्ण कमियां

वर्ष 2013-14 के लिए लेखों पर एस.ए.आर. में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नीचे दिए गए है।

1.7.2.1 ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के अन्य लाभों के प्रावधान

- बेतवा नदी बोर्ड, झांसी ने सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, आदि के लिए प्रावधान बीमांकिक आधार पर शामिल नहीं किया था जो लेखांकन नीतियों का उल्लंघन था ।

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के सेवानिवृत्ति लाभों के गैर प्रावधान के बारे में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 7 आई.सी.ए.आई.[11] द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों 12 और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों की एकसमान प्रारूप का उल्लंघन था ।

1.7.2.2 अचल संपत्तियों पर उपलब्ध कराई मूल्यह्रास

- ₹ 133.65 करोड़ के अंश-भुगतान/अग्रिमों की अंतिम व्यय के रूप में गलत बुकिंग की वजह से राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा (सी.एस.आई.आर.) ने अनुसंधान पोत, जो 31 मार्च 2013 को उनके कब्जे में नहीं था, पर ₹ 34.75 करोड़ का अवमूल्यन प्रभारित किया । नतीजतन, पूँजी निधि और अचल संपत्ति प्रत्येक ₹ 34.75 करोड़ से अल्पकथित थे।

1.7.2.3 अन्य टिप्पणियाँ

- विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली ने उचित प्राधिकरण प्राप्त किए बिना पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 'अनुदान-साधारण' के तहत प्राप्त ₹ 207.66 करोड़ का अनुदान परिवर्तित कर दिया।

- प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली ने अपने निवेश यानी इक्विटी / उद्यम पूंजी कोष का मूल्य उचित बाजार मूल्य पर रिपोर्ट नहीं किया।

[11] भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान।

- सी.एस.आई.आर. मुख्यालय और उसके नमूने में लिए गए प्रयोगशालाओं के बैंकरों से प्राप्त तीसरे पक्ष पुष्टि ने उनके वार्षिक खातों में 'मार्जिन मनी के खिलाफ टीडीआर' के आंकड़े और उनके बैंकरों द्वारा दी सूचना में ₹ 103.53 करोड़ का अंतर दर्शाया। इसलिए, परिस्थितियों और तथ्यों के तहत, लेखापरीक्षा यह आश्वस्त करने में असमर्थ था की चालू आस्तियों, ऋण और अग्रिम के तहत क्रेडिट-पत्र हेतु मार्जिन मनी के लिए जमा के रूप में उनके द्वारा दिखाए गए ₹ 134.93 करोड़ की राशि सही ढंग से सूचित की गई थी और उनके द्वारा लेखो की दूसरे शीर्षों में किए गए तदनुरूपी समायोजन भी सही थे।

- सी.एस.आई.आर. मुख्यालय और उसके नमूने में लिए गए प्रयोगशालाओं ने अव्ययित अनुदान और अनुदान पर अर्जित/ उपार्जित ब्याज उनकी 'आय' के रूप में दिखाया और इसके परिणामस्वरूप उनकी आय ₹ 45.71 करोड़ से अधिकथित और 'सरकार को वापस कर दी अव्ययित अनुदान' की चालू देनदारियां ₹ 45.71 करोड़ से अल्पकथित थी।

- सी.एस.आई.आर. और इसकी प्रयोगशालाओं द्वारा बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं से किए गए ₹ 52.85 करोड़ के भुगतान को अपने अंतिम व्यय के रूप में बुक किया गया था। इसके अलावा, बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं की धनराशि के सावधि जमा[12] पर उनके द्वारा अर्जित किए गए ₹ 13.10 करोड़ के ब्याज को लेखो में नहीं में नहीं लिया गया । इस प्रकार, सी.एस.आई.आर. की नमूने में लिए गए प्रयोगशालाओं ने बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए जमा धन के चालू देनदारियों के साथ ही चालू परिसंपत्तियों (अग्रिम) प्रत्येक को ₹ 65.95 करोड़ से अल्पकथित किया ।

- इस तथ्य को जानने के बावजूद की दोषी उद्योगों से ब्याज की बकाया राशि का उगाही के बारे में अनिश्चितता थी, सी.एस.आई.आर. ने लगातार चूक करने वाले उद्योग, जिनके खिलाफ मामले अदालतों/पंचाट के पास लंबित थे, से उपार्जित ब्याज को मान्यता दी। इसके अलावा, सी.एस.आई.आर. (मुख्यालय) के वित्तीय विवरण में एन.एम.आई.टी.एल.आई.[13] के अंतर्गत देय पर प्राप्त नहीं ब्याज में एन.एम.आई.टी.एल.आई. का आंकड़ा गलत था। परिणामस्वरुप, चालू सम्पत्ति (उद्योग को दिए गए कर्ज पर उपार्जित ब्याज) के साथ साथ चालू देनदारियां (एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अंतर्गत देय पर प्राप्त नहीं ब्याज) प्रत्येक को ₹ 5.71 करोड़ से अधिक बताया गया था। ।

[12] क्रेडिट-पत्र के लिए मार्जिन मनी के रूप में जमा भी शामिल है।

[13] नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात।

- भविष्य निधि के भुगतान के लिए एफ.डी.आर./बचत खातों में स्थिति ₹ 24.90 करोड़ की धनराशि को बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वार्षिक खातों में नहीं दिखाया गया था।

- भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने ₹ 34.38 लाख और ₹ 24.33 लाख की राशि क्रमशः 'एवेन्यू वृक्षारोपण' और 'पेड़', जो दोनों परिसर के बाहर स्थित थे और इसलिए संस्थान के स्वामित्व में नहीं थे, अचल संपत्ति के तहत बुक किया । इसके परिणामस्वरूप तुलन पत्र में अचल संपत्ति और पूँजी निधि का ₹58.71 लाख से अधिकथन हुआ।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली ने बांदीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन के लिए मड्डूर, हैंडपोस्ट और थिथिमाथि में तैनात विशेष बाघ सुरक्षा बल के कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए पूंजी अनुदान से ₹ 3.21 करोड़ जारी किया । इस राशि को अनुसूची -11 बी 'ऋण अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियों' में बांदीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन को अनुदान के रूप में दिखाने के बजाय अनुसूची-22 अनुदान में व्यय के रूप में दिखाया गया था, जिसके फलस्वरुप ₹ 3.21 करोड़ से व्यय का अधिकथन तथा परिसम्पत्तियों का अल्प-कथन हुआ।

- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी.जैड.ए.), नई दिल्ली के खातों में वर्ष के दौरान ₹ 26.47 करोड़ की राशि अनुसूची-13 अनुदान/सब्सिडी में प्राप्त दिखाई गई तथा आय के रूप में आय और व्यय लेखो में ली गई। तथापि, इस राशि में पिछले सालों से संबंधित ₹ 97.12 लाख शामिल थे जो कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान चिड़ियाघरों द्वारा वापस किया गया अव्यवित अनुदान था । ₹ 97.12 लाख में से, ₹ 56.19 लाख की राशि 2013-14 के दौरान उपयोग के लिए मंत्रालय द्वारा दोबारा सत्यापित कर दी गई थी, लेकिन शेष ₹ 40.93 लाख दोबारा सत्यापित नहीं की गई और सी.जैड.ए. के पास थी। यह ₹ 97.12 लाख से आय के अधिकथन के अलावा ₹ 40.93 लाख से देनदारियों और ₹ 56.19 लाख के पूर्व अवधि आय के अल्प-कथन के रूप में हुई।

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई द्वारा जारी की गई राशि से संबंधित 687 संगठनों से ₹ 7.05 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे, हालांकि इन्हें मार्च 2014 तक प्राप्त किया जाना था। इसमें से ₹ 3.05 लाख की राशि के नौ उपयोगिता प्रमाण-पत्र 15 से अधिक वर्षों से बकाया थे, ₹ 20.77 लाख राशि के 105 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 10 से अधिक वर्षों से बकाया थे और ₹ 84.92 लाख की राशि के 139 उपयोगिता प्रमाण-पत्र पांच वर्ष से अधिक से बकाया थे।

1.8 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदानियों जैसे कि वैधानिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी है, जो इंगित करे कि अनुदानों को जिन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किया गया था, उन्हीं के लिए इनका उपयोग किया गया था और जहां अनुदान सशर्त थे, वहाँ निर्धारित शर्तों की पूर्ति की गई। सात[14] मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल ₹ 1,421.64 करोड़ के अनुदान के लिए 9,117 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) जो कि मार्च 2014 तक देय थे, प्राप्त नहीं हुए थे, जिन्हें *परिशिष्ट IV* में दर्शाया गया है। डी.एस.टी. और डी.एस.आई.आर. ने बकाया यू.सी. के बारे में सूचना नहीं दी।

सात मंत्रालयों/विभागों के संबंध में, प्रतीक्षित 9,117 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹ 422.64 करोड़ की राशि के 7,390 प्रमाण-पत्र दो वर्ष से अधिक से लंबित थे। ₹ 289.20 करोड़ के कुल 6,194 यू.सी. पाँच सालों से अधिक से बकाया थे।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मंत्रालय/विभागवार स्थिति तालिका 5 में दी गई है।

तालिका 5 - बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	दो वर्षों से ज्यादा लंबित यू.सी.		पाँच वर्षों से ज्यादा लंबित यू.सी.	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	डी.ए.ई.	242	16.47	139	5.50
2.	डी.बी.टी.	शून्य			
3.	डी.एस.टी.	उपलब्ध नहीं			
4.	डी.एस.आई.आर.	उपलब्ध नहीं			
5.	डी.ओ.एस.	199	12.17	126	8.54
6.	एम.ओ.ई.एस.	622	44.96	488	27.95
7.	एम.ओ.ई.एफ.	5,977	293.84	5,398	244.92
8.	एम.एन.आर.ई.	156	36.40	10	0.33
9.	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	194	18.80	33	1.96
कुल		7,390	422.64	6,194	289.20

[14] डी.ए.ई., डी.बी.टी., डी.ओ.एस. एम.ओ.ई.एस., एम.ओ.ई.एफ., एम.एन.आर.ई. तथा एम.ओ.डब्ल्यू.आर.।

1.9 विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 84 में निर्धारित है कि वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम ऐसे सहायक लेखे और प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा भारत के सी&ए.जी. की सलाह से निर्धारित किए गए हों।

31 मार्च 2014 तक वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के दो विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम अर्थात् डी.ए.ई. के तहत परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद तथा भारी पानी बोर्ड, मुंबई थे, जो इस कार्यालय की लेखापरीक्षा के नियंत्रणाधीन थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम प्रोफॉर्मा लेखे जिसमें ट्रेडिंग लेखा, लाभ एवं हानि लेखे और तुलन पत्र शामिल है, वार्षिक रूप से बनाए जाते है। भारी पानी बोर्ड के वर्ष 2013-14 के प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति इस प्रतिवेदन के ***परिशिष्ट V*** में दी गई है। परमाणु ईंधन परिसर के प्रोफॉर्मा लेखा लेखापरीक्षा हेतु एक वर्ष के विलम्ब के बाद भी प्राप्त नहीं हुए थे।

1.10 हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना

नौ मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत 2013-14 के दौरान अपलिखित/माफ की गई हानियों और न वसूल हो सकने वाली देयताओं को इस प्रतिवेदन के ***परिशिष्ट VI*** में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि 2013-14 के दौरान ₹ 13.21 लाख के 63 मामलों की राशियों को 'अन्य कारणों' के लिए अपलिखित किया गया और ₹ 4.65 करोड़ के 20 मामले वसूली की माफी के कारण अपलिखित किए गए।

1.11 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सी&ए.जी. के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश सभी मंत्रालयों को जून 1960 में निर्गमित किए थे।

प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा जाँचों की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिए प्रेषित किया जाता है और उनसे निवेदन किया जाता है कि वे अपने प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजें। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे पैराग्राफों को सी.&ए.जी. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, जो कि संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, सम्मिलित किए जाने की संभावना में, उनकी टिप्पणियाँ सम्मिलित करना वांछनीय होगा।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित सचिवों को जनवरी 2015 और मई 2015 के बीच उनको व्यक्तिगत रूप से संबोधित पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अध्याय II से VII में दर्शाए गए 12 पैराग्राफों में से तीन के उत्तर नहीं भेजे। नौ पैराग्राफों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्त्ती कार्यवाही

लोक लेखा समिति ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीं रिपोर्ट (ग्याहरवीं लोकसभा) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के उपरांत की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित अनुवर्त्ती कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत की जाए।

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सी.&ए.जी. के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया ए.टी.एन. (विवरण *परिशिष्ट VII* में) की समीक्षा से पाया गया कि मार्च 2015 तक छः मंत्रालयों/विभागों से कुल 14 ए.टी.एन. पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए है, जो कि प्रस्तुत करने में एक से 28 महीनों की देरी को दर्शाते है। सात मंत्रालयों/विभागों से 33 पैरा से संबंधित पुनरीक्षित ए.टी.एन. एक से 136 महीनों से लंबित थे। (*परिशिष्ट VIII*)

चार्ट 4 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर बकाया ए.टी.एन. की संख्या